

स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

सुविधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
8 स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9 स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	20234	20234
10 स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	4046	4000
11 खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	8092	8000

ड. अधोसंरचना का विवरण					
कक्षा	Rooms as per RTE	पोर्टल में दर्ज		वास्तविक स्थिति	
		संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1 कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्षा		15	300	10	300
2 कार्यालय कक्षा-सह-भण्डार कक्षा-सह-प्रधानाध्यापक कक्षा		3	180	2	180
3 भोजनालय-सह-भण्डार		1	500	0	0

च. अन्य सुविधाएँ			पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1 क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/नहीं			हाँ	हाँ
2 पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)			हाँ	हाँ
3 खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)			हाँ	हाँ
4 पुस्तकों की संख्या			3014	3014
5 पत्रिकाएं/समाचार पत्र			6	6
6 पेयजल सुविधा का प्रकार			Tube Well	Tube Well
7 पेयजल सुविधा की संख्या			6	6
8 शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)			Indian	Indian
9 लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या			5	3
10 लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या			5	3
11 विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या			0	0
12 क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं			हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..13081572.. एवं डाईसकोड (DISE) 23130722111 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला SATNA मध्य प्रदेश